<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 29/1977 एवं 04/1980 (सीलिंग)

GCMS No: 1977/00001, 1980/00001

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये:—

1. तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
3. तहसीलदार कपासन, जिला चितौड़गढ़ (राज.)
4. तहसीलदार भोपालसागर, जिला चितौड़गढ़ (राज.)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. दी मेवाड शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपालसागर, जिला चितौडगढ (राज.)

— विपक्षी

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी।

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी (कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण, सरकारी)</u>
<u>नियम, 1963 के अन्तर्गत कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक— 12-01-2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ ने निर्णय दिनांक 31.03.1975 के तहत सिलिग प्रकरण मे बाद कार्यवाही 900 बीघा 11 बिस्वा भूमि तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ के गावों की तथा 236.5 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि तहसील सलुम्बर एवं तहसील सराड़ा की अधिग्रहण करने आदेश प्रदान किया। उक्त निर्णय की 5 अपील अलग अलग व्यक्तियों ने जिला कलक्टर चितौड़गढ़ को प्रस्तुत की। जिला कलक्टर चितौड़गढ़ ने दिनांक 17.12.1975 को निर्णय पारित करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रकरण को रिमांड कर दिया। दिनांक 21.01.1[illegible] को उप सचिव सीलिंग, राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

सीलिंग विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने आदेश संख्या 7(497) राजस्व/सिलिंग/76 द्वारा उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.1975 को सिलिंग अधिनियम, 1973 की धारा 15(2) के तहत प्रकरण को रिओपन करते हुये अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर को आदेश पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त आदेश की पालना मे अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर ने दिनांक 24.01.1979 को आदेश पारित करते हुये मेवाड़ शुगर मिल्स के पास स्थित 4228 बीघा 18 बिस्वा अर्थात 2255.03 साधारण एकड़ अर्थात 857.41 स्टेण्डर्ड एकड़ जमीन मे से राजस्व ग्राम सेरिया के 37 व्यक्तियों को 397 बीघा 11 बिस्वा भूमि एवं ग्राम बस्सी सामचोत की 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि एवं राजस्व ग्राम पारी की 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि के हस्तान्तरण को मान्यता प्रदान करते हुये उक्त भूमि को कम करते हुये शेष बची हुई 3824 बीघा 3 बिस्वा भूमि मे से धारा 30 ई के अनुसार 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मेवाड़ शुगर मिल्स के खाते रखते हुये शेष 702.97 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सरप्लस घोषित करते हुये राजकीय खाते में अंकित खाते मे अंकित करने आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील प्रस्तुत की, जिसका निर्णय दिनांक 25.04.1980 का हुआ एवं समस्त खरीददारो को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण इस न्यायालय को रिमांड किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। मामले मे उभय पक्ष को सुना गया एवं समस्त खरीददारों को भी नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

प्रकरण मे प्रभारी अधिकारी तहसीलदार सलुम्बर एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि मेवाड़ शुगर मिल्स को राजस्थान सरकार द्वारा भूमि आवंटन का मुख्य उद्देश्य भूपालसागर मे शुगर का उत्पादन करने एवं यहां के निवासियान को रोजगार उपलब्ध कराना था एवं इस हेतु मिल का निरन्तर चलना आवश्यक था। इस प्रकार गन्ने के उत्पादन हेतु मेवाड़ शुगर मिल्स को राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन किया गया, किन्तु काफी वर्षो से मेवाड़ शुगर मिल्स बंद है तथा राज्य सरकार कि उद्देश्य की पूर्ति नही हो रही हैं। मेवाड़ शुगर मिल्स के पास सीलिंग एरिये से अधिक भूमि ह, जिस अधिग्रहण किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रभारी अधिकारी द्वारा जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

चितौड़गढ एवं उदयपुर जिले की तहसील सलुम्बर एवं सराड़ा मे स्थित मेवाड़ शुगर मिल्स की खातेदारी मे अंकित भूमि की जमाबंदी की प्रतियां एवं राजस्व अभिलेख इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखा हैं, जिसमे 4228 बीघा 18 बिस्वा भूमि मेवाड़ शुगर मिल्स के खातेदारी मे अंकित हैं। उक्त भूमि मे सिलिंग के प्रावधान के अनुरूप 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मेवाड़ शुगर मिल्स के रखते हुये शेष भूमि जरिये सिलिंग एक्ट के अधिग्रहण किये जाने वाले आदेश प्रदान कराये जाना न्यायसंगत हैं।

पुराना सिलिंग प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे सेक्शन 30–बी मे वर्णित हैं, जो दिनांक 15.12.1963 से प्रभावी हैं। इसके सेक्शन 30–सी मे यह प्रावधान हैं कि एक परिवार के 5 सदस्य तक 30 स्टेण्डर्ड एकड़ एवं इसके पश्चात प्रति सदस्य 5 एकड़ और भूमि जोड़ते हुये अधिकतम 60 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि एक परिवार का धारण करने का प्रावधान हैं। चकि मवाड़ शुगर मिल्स एक लिमिटेड कम्पनी हो एक विधिक व्यक्ति हैं, इसलिए इसे एक परिवार माना जायेगा एवं इनके द्वारा अधिकतम 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखी जायेगी। उक्त भूमि को रखते हुये अधिशेष भूमि को अधिग्रहण किया जावें। धारा 30–डी (1) मे यह प्रावधान है कि दिनांक 25.02.1958 के दिन इसके बाद के व्यवहार को मान्यता प्रदान नही की जावेगी, लेकिन अपवाद स्वरूप विभाजन द्वारा प्राप्त भूमि, इस दिनांक से पूर्व व ट्रान्सफर को दिनांक तक भूमिहीन व्यक्ति हो, राजस्थान का निवासी हो उसी पर यह अपवाद लागू होगे, लेकिन किसी भी सूरत मे दिनांक 09.12.1959 के बाद के ट्रान्सफर पर कोई अपवाद लागू नही होगा। धारा 30–डी (3) मे यह प्रावधान हैं कि यदि ट्रान्सफर की भूमि उपरोक्त अवधि की सीमा मे नही आती हैं एवं उसे मान्यता प्रदान नही की जाती हैं। ऐसी स्थिति मे खरीददार को विक्रेता से विक्रय मूल्य की रकम प्राप्त करने का अधिकार होगा। धारा 30–डीडी मे यह प्रावधान हैं कि (Certain Transfer to be recognise) दिनांक 31.12.1969 तक के 30 स्टेण्डर्ड एकड़ तक के स्थानान्तरण जो ऐसे व्यक्ति के पक्ष मे किया गया हो, जो राजस्थान मे स्थायी निवास करने वाला कृषक, जो स्वयं खेती करता हो, जिसका धन्धा खेती करना हो, इस दिनांक को वह व्यक्ति व्यस्क हो, इस एक्ट के आने से पूर्व वह राजस्थान का निवासी हो एवं बोनाफाईड परचेजर हो। इस प्रकार इस परिव्यूह मे आने वाले स्थानान्तरण का मान्यता देने का प्रावधान हैं किन्तु इस प्रकरण मे यह प्रावधान लागू नही होगे। धारा 30–डीडी (4) मे यह प्रावधान हैं कि अंपजीकृत स्थानान्तरण को कोई मान्यता प्रदान नही की जावेगी एवं दिनांक 31.12.1969 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

बाद के हस्तान्तरण के क्रेता को अपील को कोई अधिकार नही हैं। मामले मे भूमि का जो हस्तानान्तरण किया गया हैं वह धारा 30 के परिव्यूह मे नही आता हैं। सभी हस्तानान्तरण अवैध किये हैं एवं जिनके पक्ष मे हस्तानान्तरण किये उनमे से कुछ व्यक्ति तो राजस्थान के मूल निवासी नही हैं एवं न ही एक बोनाफाईड कृषक हैं। सन् 1970 से पूर्व का कोई पंजीकृत दस्तावेज क्रेताओं के पास उपलब्ध नही हैं एवं न ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज मोजूद हैं। सिर्फ सिलिंग से बचने के लिए 5 रूपये के स्टाम्प पर इकरार कर रखे हैं जिनसे कोई टाइटल प्राप्त नही होता हैं। धारा 54 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही टाइटल हस्तान्तरण हैं। ऐसी परिस्थिति मे इस प्रकरण मे किसी भी हस्तानान्तरण को मान्यता प्रदान नही की जा सकती हैं। इसलिए क्रेतागणों की उजरदारी निरस्त की जावें। मेवाड़ शुगर मिल्स के उपरोक्त भूमि मे से 30 स्टेण्डर्ड भूमि कोनसी रखी जावे, जिसके बारे मे विकल्प पत्र मांगा गया। मेवाड़ शुगर मिल्स ने प्रथम विकल्प प्रस्तुत किया उस अनुसार उसके हिस्से मे भूमि रखी जावें एवं द्वितीय विकल्प को निरस्त किया जावें। मेवाड़ शुगर मिल्स एक लिमिटेड कम्पनी हैं, जिसका एक विधिक अस्तित्व हैं एवं उसे एक इकाई ही माना जावेगा चाहे उसके एक हजार शेयर होल्डर क्यों न हो। इसलिए एक इकाई के अनुसार निर्धारण किया जावें। अतः मेवाड़ शुगर मिल्स के 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखते हुये शेष भार रहित अधिशेष भूमि अधिग्रहण किये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रकरण मे प्रभारी अधिकारी तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा लिखित बहस के साथ निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः–

- आर.आर.डी. 1975 पृष्ठ 107 एन.यू.सी.
- आर.आर.डी. 1976 पृष्ठ 640
- ए.आई.आर. 1960 एस.सी. पृष्ठ 1368
- डब्लू. एल. एन. 1973 पृष्ठ 654
- आर.आर.डी. 1975 पृष्ठ 179
- आर.आर.डी. 1976 पृष्ठ 301
- आर.आर.डी. 1977 पृष्ठ 281

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Bunkar
Date: 2021.01.12 [illegible] IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे मेवाड़ शुगर मिल्स की ओर से श्री संजय बोहरा ने बहस मे भाग लेते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि विपक्षी मेवाड़ शुगर

मिल्स अपने पास जो 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखना चाहता हैं उसकी लिस्ट पेश करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा नोटिस दिया गया हैं। इस मामले मे नये आराजी नंबर आ चुके हैं एवं भूमि का विवरण भी हेक्टेयर मे दिया गया हैं। विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स के खाते मे आबादी एवं मिल की ओद्योगिक भूमि 14.71 हेक्टेयर एवं कृषि भूमि 23.14 हेक्टेयर इस समय खाते मे दर्ज हैं। आबादी एवं कृषि भूमि दोनो मिलाकर 38.58 हेक्टेयर भूमि मेवाड़ शुगर मिल्स के खाते मे इन्द्राज हैं। आबादी एवं मिल की ओद्यौगिक भूमि सिलिंग एक्ट मे नही आती हैं। मेवाड़ शुगर मिल्स के खाते मे इस समय 38.58 हेक्टेयर भूमि हैं, जो ग्राम भूपालसागर, जिला चित्ताड़गढ़ मे स्थित हैं एवं इसकी सूची विपक्षी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं जो निम्न हैं:–

परिशिष्ट–अ

आराजी नंबर	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म	लगान
1042	1.40	पड़त	4.20
1044	0.01	स्थान	
1045	0.59	पड़त	1.77
1405	0.06	पड़त	0.18
1420	0.01	मकान	
1421	0.01	भट्टा	
1496 मी.	0.01	मकान	
1497	0.39	मकान	
1526	0.09	नहरी	2.07
1527	0.93	नहरी	21.30
1528	0.30	मकान	
1529 मी	1.35	नहरी	31.05
1531	0.01	बावड़ी	
1532	0.01	बावड़ी	
1533 मी	0.19	नहरी	7.03
1534	0.27	चाही	9.99
1640 मी	0.15	चाही	4.20
1641	0.005	आम	
1642 मी	0.01	चाही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

1643 मी	0.10	चाही	2.80
1644	0.45	चाही	12.60
1645	0.21	चाही	5.88
1646	0.11	चाही	3.08
1647	0.30	चाही	8.40
1648	1.52	चाही	42.56
2015	0.72	नहरी	5.04
2016 मी	0.48	नहरी	6.24
2220	0.60	नहरी	4.24
2221	0.03	रास्ता	
2222	0.28	नहरी	1.96
2307	0.04	वासनी	0.24
2308	0.88	वासनी	5.28
2311	0.41	नहरी	5.33
2312	1.60	नहरी	20.80
2401	0.60	नहरी	7.80
2402	0.85	नहरी	11.05
2403	0.07	आवा	
2404	0.82	नहरी	10.66
2406	13.25	फैक्ट्री	
2407	0.03	फैक्ट्री	
2418	0.13	पड़त	0.39
2421	0.37	सड़क	
2422	0.11	मकान	
2423	0.03	मकान	
2424	0.03	आपा	
2425	4.60	पड़त	12.00
2426	0.01	मकान	
2427	0.55	रास्ता	
2428	0.02	मकान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

2430	0.15	मकान	
2431	0.04	मकान	
2432	0.01	टापा	
2433	0.70	पड़त	2.10
2434	0.41	चाही	8.61
2435	0.02	बीड़	0.04
2436	0.03	टापा	
2437	0.07	मकान	
2438	0.55	बीड़	1.10
2439	0.30	बरानी	1.80
2457	1.22	नहरी	8.19
2677 / 1496	0.01	पड़त	
2678 / 1553	0.02	मकान	0.74
कुल किता 62	**38.58**		**270.92**

उक्त भूमि ग्राम भूपालसागर, तहसील कपासन, जिला चितौड़गढ़ मे स्थित हैं। उक्त भूमि से जो भूमि बिना लगानी की हैं उस भूमि पर या तो मकानात बने हुये हैं या फैक्ट्री बनी हुई। यह भूमि कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि हैं। यह भूमि आबादी भूमि होने से सिलिंग मे नही आती हैं, फिर भी न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को सिलिंग मे मानते हुये विकल्प पेश करने का आदेश दिया। विपक्षो मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा उक्त भूमि को अपने पास रखने का विकल्प पेश किया जा रहा हैं जो करीब 18 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि होती हैं। इस कारण विपक्षी विकल्प मे उक्त आराजीयात व रकबा अपने पास रखना चाहता हैं।

इसके अतिरिक्त भूमि जो पूर्व मे विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स के खाते थी, जिसे हाल मे किस्म चरनोट मे दर्ज कर दिया गया हैं, वह विपक्षी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि हैं, जिसका विवरण निम्न हैः—

परिशिष्ट—ब

आराजी नंबर	रकबा
13	0.22
15	2.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

16	1.14
17	0.51
18	1.33
12	0.19
14	0.02
कुल किता 7	5.71 हेक्टेयर

उक्त भूमि ग्राम हड़मतिया, जिला चितौड़गढ़ मे स्थित हैं। इस भूमि को विकल्प मे सम्मिलित करने से भी 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि नही होती हैं।

उक्त भूमि के अलावा ग्राम सेती, जिला चितौड़गढ़ की आराजी विपक्षी अपने पास रखने को विकल्प दे रहा हैं। इस भूमि को रेवेन्यू रेकड मे गलती से बिलानाम दर्ज कर दिया गया हैं, जबकि यह भूमि मिल के खाते मे रही हैं, जिसके आराजी संख्या 550 रकबा 0.61 हेक्टेयर, 1752 रकबा 0.3400 हेक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 0.9500 हेक्टेयर भूमि हैं। विपक्षी अपने पास उक्त कुलिया भूमि रखता हैं जो 30 स्टेण्डर्ड एकड़ के लगभग भूमि होती हैं। इस प्रकार उक्तानुसार भूमि विपक्षी के पास रखी जाकर शेष भूमि अवाप्त कर ली जावें तो विपक्षी को किसी प्रकार की आपत्ति नही हैं, जो भूमि अवाप्त कर ली थी अर्थात सोलिंग मे ले ली गई हैं तथा विपक्षी को केवल 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अपने पास रखने को विकल्प पेश किया तथा विकल्प मे दी गई कुलिया भूमि शुगर फैक्ट्री के पास रहती हैं वह 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से कुछ कम हैं, जो लगभग 30 स्टेण्डर्ड एकड़ होने से उक्त भूमि विपक्षी के पास रखी जावें। इस प्रकार सिलिंग एक्ट के अनुसार विपक्षी 30 स्टण्डर्ड एकड़ जमीन अपने पास रख सकता हैं तथा जो भूमि विपक्षी की चारागाह अथवा बिलानाम सरकार पूर्व मे सिलिग केस मे ले ली गई हैं वह पुनः मेवाड़ शुगर मिल्स की खातेदारी मे दर्ज किया जाना आवश्यक हैं तथा निवेदन हैं कि उपरोक्त 30 स्टेण्डर्ड एकड़ के अलावा मेवाड़ शुगर मिल्स की सलुम्बर, भुपालसागर, सनवाड़, कपासन, सेती, जिला चितौड़गढ़ व अन्य स्थानों पर मेवाड़ शुगर मिल्स की जो भी जमीन हैं तथा मेवाड़ शुगर मिल्स ने दिनांक 31.12.1970 के बाद जो जमीने जिन–जिन व्यक्तियों को विक्रय कर दी वह विक्रय सब अवैध माने जाकर वो सब भूमि मेवाड़ शुगर मिल्स से सोलिंग मे लिये जाने का आदेश दिया जा सकता हैं तथा 30 स्टेण्डर्ड एकड़ के अलावा शेष भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे ट्रान्सफरी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जिसमे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जिन–जिन हस्तान्तरियों का सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया उनकी ओर से नोटिस के अनुसार वांछित राजस्व रेकर्ड व खातेदार के द्वारा किया हुआ हस्तान्तरण विक्रय पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दो गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अध्याय तृतीय (बी) मे अधिकतम कृषि भूमि सीमा निर्धारण के प्रावधान हैं, जिसके अनुसार धारा 30 (ई) मे खातदार को सिलिंग सीमा से अधिक भूमि विक्रय करने का अधिकार धारा 30 (डी) एवं 30 (डीडी) मे दिया हुआ हैं। इस धारा के अन्तर्गत खातेदार मेवाड़ शुगर मिल्स भूपालसागर ने सन् 1962 मे राजस्थान के निवासी कृषको जिनके पास सिलिंग सीमा से कम भूमि हैं उन व्यक्तियों भूमि का हस्तान्तरण किया गया हैं। तत्समय प्रचलित भूमि की कीमत एवं भूमि अधिक उपजाऊ न होने से प्रतिफल की राशि 99/– तक की हैं। उनके विक्रय पत्र पंजीकृत नही हैं शेष अधिक प्रतिफल के हस्तानान्तरण पंजीकृत हैं, किन्तु अपंजीकृत हस्तानान्तरण के उन कृषकों के नाम भूमि का नामान्तरकरण हो चुका हैं। इस प्रकार शासन ने उनके हस्तानान्तरण एवं अधिपत्य को उचित माना हैं, जिससे यह सभी हस्तानान्तरण धारा 30 (डी) एवं 30 (डीडी) के अनुसार मान्य किये जाने योग्य हैं, क्योंकि यह सिलिंग प्रावधान दिंनाक 01.04.1966 से प्रभावित हैं और इससे पूर्व के हस्तानान्तरण को इस टीनेन्सी एक्ट की धारा 30 (डी) से मान्य हैं। चूंकि दिनांक 01.04.1966 को जो भूमि खातेदार मेवाड़ शुगर मिल्स के आधिपत्य मे रही हैं, उसी भूमि का घोषण पत्र मे चार्ज की जाकर खातेदार को धारा 30 (ई) मे 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने का अधिकार हैं। इसके राजस्व मण्डल का निर्णय आर.आर.डी. 1988 पृष्ठ 589 हैं जिसमे यह माना हैं कि दिनांक 31.12.1969 तक जो भी हस्तान्तरण किये गये वह मानने योग्य हैं। इस प्रकार आर.आर.डी. 1989 पृष्ठ 233 मे यह माना हैं कि हस्तान्तरण को मान्यता देने मे कीमत नही देखी जावें। इसी प्रकार आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 47 मे यह माना हैं कि दिनांक 01.04.1966 के पूर्व के हस्तानान्तरण मान्य किये जावे और खातेदार के पास जो दिनाक 01.04.1966 को भूमि रही हैं उसी के स्टेण्डर्ड एकड़ बनाये जावें यही सिद्धान्त आर.आर.डी. 1983 पृष्ठ 144 (हाइकोर्ट) मे प्रतिपादित किया गया हैं कि इसी को आर.आर.डी. 1981 मे आधार मानकर पृष्ठ 72, 367 मे निर्णय पारित किये गये हैं। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के उक्त पावधान के अनुसार राजस्थान काश्तकारी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकार) 1963 नियम 17(4) अनुसार मेवाड़ शुगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

मिल्स एक कम्पनी हैं जिसमे अनेक शेयर होल्डर हैं, उन शेयर होल्डर का भी भूमि मे हिस्सा माना गया हैं।

मेवाड़ शुगर मिल्स भूपालसागर ने जिन कृषको सन् 1962 मे भूमि हस्तानान्तरण की हैं उनकी सूची निम्नलिखित हैं एवं उन सभी का राजस्व रेकर्ड, रकबा, विक्रय पत्र व मिलान खसरा निम्नलिखित ट्रान्सफरियों ने पेश कर रखा हैं।

परिशिष्ट–स

क्र. स.	नाम	हस्तांतरण दिवस	रकबा
1.	लच्छीराम पिता उदयराम जाट रावल्या	16.06.1962	साढ़े चार बीघा
2.	माना पिता करणा जी भांभी रावल्या	29.04.1962	साढ़े पांच बीघा तीन बिस्वा
3.	नत्थे खां पिता अब्दुल खां कायमखानी ने गोविंद पिता कालू जी मीणा को	21.08.1962	दो बीघा
4.	रामलाल पिता किशनलाल	19.06.1962	1.43 हेक्टयर
5.	भगवान लाल जाट	16.06.1962	सवा चार बीघा चार बिस्वा
6.	महादेव पिता उदयराम	16.06.1962	पौने चार बीघा
7.	भागीरथ पिता किशनलाल मीणा वर्तमान खातेदार विरासत से किशना पिता नरसिंह मीणा	09.09.1962	0.70 हेक्टयर
8.	शोलाल पिता घीसा जाट	16.06.1962	पौने चार बीघा
9.	माधू तोलीराम अम्बा पिता भगवान लाल जाट	16.06.1962	सवा चार बीघा
10.	मोती पिता खुमा वाम्बी	21.04.1962	साढ़े सात बीघा
11.	दौला पिता गोपाल मीणा	21.04.1962	पौने तीन बीघा एक बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

12.	सत्यनारायण पिता प्रेमचंद	08.09.1962	
13.	जीतू पिता मोती भाम्बी	1962	
14.	किशनलाल	1962	
15.	हीरालाल पिता भैरू	21.08.1962	
16.	जालमा पिता मोड़ा जी	21.06.1962	
17.	मोड़सिंह पिता किशनसिंह	16.06.1962	
18.	हीरा पिता चतरभुज गुजर	25.07.1962	
19.	रामा पिता चतरभुज गुजर	16.06.1962	
20.	खेमा पिता प्रताप खटीक	16.06.1962	
21.	तोलीराम पिता किशना गुजर	16.06.1962	
22.	रामचन्द दाधीच ने गोपी पिता जस्सा बंजारा को बेची	1962	
23.	रामा पिता चतरभुज गुजर	25.07.1962	
पारी			
24.	माना पिता गेमा बंजारा	1962	
25.	गेमा पिता बिहारी बंजारा	1962	
26.	खेमा पिता प्रताप बंजारा	1962	
27.	गोपी पिता भेरा बंजारा	1962	
28.	जस पिता प्रताप	1962	
29.	टोलू पिता किशना गुजर	1962	
30.	बंशी पिता मोती बंजारा	1962	
31.	हीरा पिता चतरभुज गुजर	1962	
32.	जस पिता परथा	1962	
पलरि			
33.	गोपाल लाल पिता उदय लाल	196	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Purkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

34.	रखबलाल पिता कन्हैंयालाल	1962	
35.	मांगीलाल गोर्धन लाल किशन लाल जीवरात पिता हरिराम गर्ग	1962	
36.	कमलेश पिता मांगीलाल बागरेचा	1962	

उक्त सभी हस्तानान्तरण सन् 1962 के हैं, जिसमे दिनांक 01.04.1966 को यह भूमि खातेदार मेवाड़ शुगर मिल्स भूपालसागर के आधिपत्य मे भी नही थी एवं वर्णित कृषको को विक्रय करके आधिपत्य सौप दिया गया था। इस कारण राजस्थान शासन के सोलिंग सीमा के प्रावधान राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अध्याय 30 (बी) मे नोटिफिकेशन जारी किया उस दिवस को यह भूमि भूपालसागर के पास नही होने से खातेदार की नही मानी जा सकती और हस्तान्तरण धारा 30 (बी) मे मान्य किये जाने का प्रावधान हैं। उक्त तथ्य राजस्थान राजस्व मण्डल के उद्धरण आर.आर.डी मे रिपोर्टेड हैं एवं उनके अनुसार इन सभी हस्तान्तरण को मान्य किया जावें।

राज्याज्ञा दिनांक 25.06.1976 से यह प्रकरण रिओपन हुआ हैं, जिससे दिनांक 31.12.1969 तक के हस्तान्तरण को मान्यता देने के पश्चात जो कृषि भूमि खातेदार के आधिपत्य मे रहती हैं और धारा 30 (ई) मे खातेदार जो भूमि धारण करने का अधिकारी हैं। उसके पश्चात बची हुई भूमि यदि सरप्लस रहती हैं तो उसके लिए राजस्थान शासन ने कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सोलिंग सीमा निर्धारण करने हेतु प्रावधान बनाये हैं और इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी कपासन ने दिनांक 31.03.1978 को निर्णय पारित किया हैं, जिसकी अपील जिलाधीश चितौड़गढ़ के यहां प्रेषित हुई जिसका निर्णय दिनांक 27.12.1975 का हैं, जिसमे इस हस्तान्तरण को मान्यता दी हैं।

यह प्रकरण भी दिनांक 22.01.1977 का रिओपन किया हैं जिससे दिनांक 01.01.1970 से बाद के हस्तान्तरण की जांच इस अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत होगी जो कि दिनांक 26.09.1970 तक के सभी हस्तान्तरण मानने योग्य हैं, क्योकि इस धारा के अन्तर्गत दिनांक 26.09.1970 तक के हस्तान्तरण मान्य किये जाने का प्रावधान हैं और इसके पश्चात के हस्तान्तरण की जांच का ही प्रावधान हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत चितौड़गढ़ जिले में कृषि भूमि की सीमा का निर्धारण 48 एकड़ हैं और जो हस्तांतरित भूमि दिनांक [illegible] के बाद खातेदार मेवाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

शुगर मिल्स कम्पनी ने या शेयर होल्डर ने या हस्तांतरिती ने हस्तान्तरण किये हैं और उन हस्तांतरिती ने पुनः भूमि का हस्तान्तरण गांव रावल्या के अन्य काश्तकारों को कर दिया व सभी जनवरी 1970 के हैं वह भी किये जाने योग्य हैं। यह हस्तान्तरण दिनांक 15.01.1970 को मेवाड़ शुगर मिल्स ने निम्नलिखित व्यक्तियो को किया हैं।

1. जुगल किशोर पिता रामभक्त शर्मा
2. जीतमल पिता मेगराज
3. महावीर प्रसाद पिता लालूराम
4. देवकरण दास पिता बंजरग दास पोद्दार

को किया हैं और इन्होने निम्नलिखित व्यक्तियों को हस्तान्तरण किया हैं और भूपालसागर कम्पनी ने भी जिनको हस्तान्तरण किया हैं उनकी सूची निम्नलिखित हैं। इन सभी व्यक्तियों ने भी न्यायालय मे सभी का राजस्व रेकर्ड, विक्रय पत्र, नामान्तरण, जमाबंदी, मिलान खसरा प्रेषित किया हुआ हैं जिसस यह सभी व्यक्ति कृषक और निम्नलिखित वर्णित सूची मे जो ब्यौरा दिया हुआ हैं उस भूमि पर कृषि कर रहे हैं। जो दिनांक 26.09.1977 तक के हस्तान्तरण हैं, मान्य किये जाने योग्य हैं। इस कारण से इनको मान्यता दी जावे।

<u>परिशिष्ट–द</u>

क्र.स.	**नाम**	**दिनांक**
1.	भेरूलाल पिता भूरा जाट	15.01.1970
2.	बोतलाल पिता खेमा जाट	15.01.1970
3.	गोविन्द पिता शंकर लाल जाट	15.01.1970
4.	मांगीलाल पिता चुनाजी लुहार	12.01.1970
5.	लोपु पिता मोहन जाट	15.01.1970
6.	भंवर लाल किशनलाल पिता गोपीलाल नाई	05.01.1970
7.	गोपाल पिता लछीराम जाट	15.01.1970
8.	रामेश्वर लाल बंशीलाल सोहनलाल ब्राहम्ण	15.01.1970
9.	जवाहर लाल चन्द्रकुमार बापना	15.01.1970
10.	सुरेश चन्द लक्ष्मीलाल चपलोत	15.01.1970
11.	श्रीमती निर्मला देवी पत्नि समरथ सिंह सिसोदिया	15.01.1970

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

12.	रमेश चन्द पिता लक्ष्मीलाल चपलोत	15.01.1970
13.	पुना चन्द पिता उदयलाल कुम्हार	15.01.1970
14.	माधू सिंह पिता इन्द्र सिंह राजपूत	15.01.1970
15.	भेरू जाट	15.01.1970
16.	जोधा पिता खेमा जाट	15.01.1970
17.	हजारी पिता हरलाल बन्जारा	15.01.1970
18.	दोला कालू पिता गोपाल बन्जारा	15.01.1970
19.	बदाम बाई सागर बाई	12.01.1970
20.	लक्ष्मीलाल चपलोत	12.01.1970
21.	जगन्नाथ पिता नन्दा	12.01.1970
22.	सागर देवी बदाम देवी गादोली ब्राहम्ण	12.01.1970
23.	मांगीलाल पिता चुन्नी लाल लुहार	12.01.1970
24.	हीरा लाल पिता माधु लाल चन्दालिया	12.01.1970
25.	पुरूषोतम पिता अम्बालाल	15.01.1970
26.	जुगल किशोर पिता रामचन्द	15.01.1970
सिंघाड़िया		
27.	मथुरा लाल पिता रूपचन्द ब्राहम्ण	12.01.1970

इस प्रकरण मे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अध्याय 3 के अन्तर्गत पुराने सिलिंग के प्रकरण मे सन् 1962 मे किये गये उक्त सभी हस्तान्तरण को मान्यता दी जाये और इसके पश्चात राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम, 1976 के प्रावधान के अन्तर्गत जनवरी 1970 मे मेवाड़ शुगर मिल्स के द्वारा जो भूमि काश्तकारों को हस्तान्तरित की हैं वह सभी कृषक सोलिंग सीमा से कम भूमि धारण करते हैं। अतः उनको राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार सुनवाई कर मान्यता दी जावें।

इस प्रकरण मे जो हस्तान्तरित दिनांक 01.01.1970 से पश्चात के हैं उन व्यक्तियों ने श्रीमान के समक्ष जो राजस्व रेकर्ड पेश किया हैं उससे भी यह प्रकट हैं कि उनके पास 48 एकड़ से अधिक भूमि नही हैं।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी एवं उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली मे वर्णित तथ्यों को गंभीरता से मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

सचिव, मेवाड़ शुगर मिल्स लि., भूपालसागर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 30(ई) के अंतर्गत अपनी भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारित करने के वास्ते एक घोषणा पत्र राजस्थान काश्तकारी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी), 1963 के नियम 9 के अंतर्गत दिनांक 30.06.1965 को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मेवाड़ शुगर मिल्स के खाते मे वर्ष 1963 मे कुल 4228 बीघा 18 बिस्वा निम्नानुसार भूमि स्थित थीः–

परिशिष्ट–य

क्र. सं.	**नाम ग्राम**	**भूमि वर्गीकरण**	**सिलिंग ग्रुप वाइस क्षेत्रफल**		**परिवर्तन दर की रेट से साधारण एकड़ मे 30 स्टेण्डर्ड एकड़ होंगे**	**स्टेण्डर्ड एकड़**
			बीघा	**एकड़**		
तहसील सराड़ा जिला उदयपुर						
1	सल्लाड़ा (तृतीय ग्रुप)	भूरी कदीम	482.07	257.25	156	61.56
		भूरी कांकरी कदीम	87.03	56.16	156	
		मगरी	18.03			
		गैर मुमकिन	12.11	6.70	156	
		योग	**600.04**	**320.11**		**61.56**
2	बड़गांव (तृतीय ग्रुप)	भूरी रेतड़ी कदीम	361.08	192.74	156	37.22
		गैर मुमकिन	1.11	0.82		
		योग	**362.19**	**193.56**		**37.22**
3	वीरपुरा (तृतीय ग्रुप)	भूरी कदीम	143.14	76.63	156	33.16
		भूरी रेतड़ी कदीम	127.14			
		भूरी कांकरी कदीम	10.16	87.22	156	
		मगरी	[illegible]			
		गैर मुमकिन	16.02	8.58	156	
		योग	**323.07**	**172.43**		**33.16**

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर						
1	सेरिया (द्वितीय ग्रुप)	खादी 2 बी	361.04	192.64	38	152.08
		कुआ II	3.09	1.84	44	1.25
		बारानी I	120.03	64.08	66	29.13
		बारानी 2	57.09	30.64	75	12.26
		बीड़ I	9.11	94.34	106	26.70
		बीड़ 2	126.13			
		पड़त I	40.14			
		पड़त 2	453.16	242.04	132	55.01
		गैर मुमकिन	10.02	5.38	132	1.22
		योग	**1183.01**	**630.96**		**277.65**
2	बसी सामचोत (तृतीय ग्रुप)	हकत I बा. I	108.04	57.71	78	22.20
		हकत II बा. II	71.15	38.26	89	12.97
		हकत III बा. III	244.10	130.40	104	37.62
		बीड़ II	3.04	1.71	125	0.92
		पड़त I	4.00	2.13	125	
		गैर मुमकिन	13.12	7.25	156	1.39
		योग	**445.05**	**237.46**		**75.03**
3	बस्सी जूंझावत (तृतीय ग्रुप)	हकत I बा. I	15.19	8.51	78	3.27
		हकत II बा. II	11.13	6.21	89	2.09
		हकत III बा. III	15.07	8.19	104	2.36
		पड़त I	8.04	4.38	105	1.05
		पड़त II	2.01	1.09	156	0.27
		मगरी	0.12	0.32		
		गैर मुमकिन	2.13	1.41	156	0.27
		योग	**56.09**	**30.11**		**9.31**
तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़						
1	डाबर उर्फ भोपालनगर (तृतीय ग्रुप)	बारानी II ता.	69.11	46.24	33	42.02
		बारानी III ता.	17.03			
		पड़त I	17.18	9.55	125	2.29
		पड़त II	43.17	24.05	132	7.74
		उसर नेड़ी	2.05	1.19	132	0.27
		योग	**170**	**91.03**		**52.32**

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Sunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

2	रावतीया (तृतीय ग्रुप)	खादी I ता.	46.16	24.96	33	169.23
		खादी II ता.	82.09	43.97		
		बारानी I ता.	114.04	60.90		
		बारानी II ता.	60.14	32.37		
		बारानी III ता.	44.18	23.95		
		कुआ I	7.09	3.97	44	2.71
		पड़त II	51.07	27.39	132	6.23
		गैर मुमकिन	17.18	9.56	132	2.17
		योग	**425.15**	**227.07**		**180.34**
3	बालद (तृतीय ग्रुप)	बारानी II	21.00	11.20	75	4.48
		पड़त II	47.12	25.38	132	5.77
		गैर मुमकिन	2.08	1.27	132	0.29
		योग	**71.00**	**37.85**		**10.54**
4	पारी (चतुर्थ ग्रुप)	बारानी I ता.	33.07	22.60	39	17.38
		बारानी II ता.	9.01			
		बारानी I	10.08	5.54	78	2.13
		पड़त I	44.12	23.78	125	5.71
		पड़त II	13.08	7.61	156	1.46
		पड़त III	0.17			
		योग	**111.13**	**59.53**		**26.68**
5	भोपालसागर (तृतीय ग्रुप)	खादी I ता.	6.13	26.40	33	24.00
		खादी II ता.	14.03			
		बारानी I ता.	11.11			
		बारानी II ता.	17.03			
		कुआ II	16.13	8.88	44	6.06
		बारानी I	1.08	0.74	66	0.34
		बारानी III	4.01	2.16	88	0.74
		बीड़	5.01	2.70	106	0.76
		पड़त	31.05	16.66	132	3.79
		गैर मुमकिन	78.14	41.98	132	9.54
		योग	**186.12**	**99.52**		**45.23**
6	हड़मतिया (चतुर्थ ग्रुप)	बीड़ I	1.15	0.93	125	0.22
		बीड़ II	18.19	13.30	156	2.56
		पड़त II	6.00			
		गैर मुमकिन	0.12	0.32	156	0.06
		योग	**27.06**	**14.55**		**2.84**
7	फलासिया (तृतीय ग्रुप)	बारानी II	[illegible]	1.60	75	0.64
		पड़त I	[illegible]	24.43	132	8.00
		पड़त II	[illegible]	10.78		
		योग	**[illegible]**	**36.81**		**8.64**

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: Self Attested

8	सींघाडिया (तृतीय ग्रुप)	कुआ III	6.15	3.60	44	2.45
		बारानी I	59.17	31.92	66	14.51
		बारानी II	3.01	1.63	75	0.65
		बारानी III	61.16	32.96	88	11.24
		बीड़ I	2.12	1.37	106	0.93
		बीड़ II	3.12	1.92		
		पड़त II	51.07	27.39	132	6.30
		गैर मुमकिन	6.13	3.55	132	0.81
		योग	**195.13**	**104.34**		**36.89**
		महायोग	4228.18	2255.03		857.41

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1963 मे मेवाड़ शुगर मिल्स, भूपालसागर के नाम उपरोक्तानुसार कुल 4228 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित थी, जिसे स्टेण्डर्ड एकड़ मे परिवर्तन करने पर 857.41 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मेवाड़ शुगर मिल्स के खाते वर्ष 1963 मे होना पाया गया हैं। मेवाड़ शुगर मिल्स को राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन करने का मूल उद्देश्य शुगर उत्पादन करना एवं यहां के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना था। विगत कई वर्षो से मेवाड़ शुगर मिल्स बंद हो चुका एवं राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति न होने से मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम स्थित सोलिंग एरिये से अधिक भूमि को अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। पुराना सिलिंग प्रावधान सेक्शन 30–बी मे स्थित है जो 15.12.1963 से प्रभावी है एवं इसके सेक्शन 30–सी मे वर्णित प्रावधान अनुसार मेवाड़ शुगर मिल्स एक लिमिटेड़ कम्पनी होने से एक विधिक व्यक्ति है एवं इसको एक परिवार माना जाने से अधिकतम 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने का प्रावधान है एवं शेष भूमि अधिग्रहण की जानी है, जैसा कि आर.आर.डी. 1977 पृष्ठ 281 पर वर्णित है। इस प्रकार सीलिंग प्रावधानानुसार 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मेवाड़ शुगर मिल्स के पास छोड़ने पर 827.41 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने योग्य है। धारा 30–डी(1) मे यह प्रावधान है कि दिनांक 25.02.1958 के दिन अथवा इसके बाद के व्यवहार को मान्यता नही दी जायेगी एवं अपवाद स्वरूप विभाजन द्वारा प्राप्त भूमि, इस तारीख से पूर्व व ट्रान्सफर की दिनांक भूमिहीन व्यक्ति हो [illegible]ान का निवासी हो, उसी पर यह प्रावधान लागू होगे लेकिन किसी भी [illegible]रत मे 09.12.1959 के बाद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

ट्रान्सफर पर कोई अपवाद लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त धारा 30–डी–डी मे वर्णित प्रावधान प्रकरण मे लागू नही होते है। साथ ही 30–डी–डी(3) मे वर्णित प्रावधान अनुसार अपंजीकृत स्थानान्तरण को कोई मान्यता प्रदान नही की जा सकती, जैसा कि आर.आर.डी. 1976 पृष्ठ 6 पर वर्णित है। उजरदारों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस मे उनके द्वारा क्रय की गई भूमि को मान्यता दिये जाने हेतु अनुरोध किया है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि का हस्तान्तरण 25.02.1958 के पूर्व का हो अथवा अपवाद स्वरूप 09.12.1959 से पूर्व का हो ऐसा कोई पंजीकृत दस्तावेज उजरदारों के अधिवक्ता प्रस्तुत करने मे असफल रहे है। इसके अतिरिक्त उजरदारों के अधिवक्ता द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को भी मान्यता प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज कभी भी लिखे जा सकते है व इन पर विश्वास नही किया जा सकता है। वस्तुतः यह दस्तावेज सीलिंग कानून के उद्देश्य को डिफीट करने हेतु लिखे गये है। धारा 54, सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर टांईटल हस्तान्तरण होता है। मात्र सोलिंग से बचने के लिए 5 रूपये के स्टाम्प पर किये गये इकरार स उजरदारों का काई टाईटल तय नही होता है एवं इस प्रकार उजरदारो द्वारा विक्रय को सिद्ध नही कराया गया, जो स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। एग्रीमेन्ट टू सेल के माध्यम से राइट इन्टरेस्ट क्रेता को नही मिलता ह और न ही क्रेता हस्तान्तरिती की तारिफ मे माना जा सकता है। हस्तान्तरिती ने यह प्रमाणित नही कराया है। हस्तान्तरिती बोनाफाईड परचेजर हो, व्यस्क हो, स्वयं कृषि करता हो, राजस्थान का स्थाई निवासी हो आदि की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज उजरदार अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्वयं मेवाड़ शुगर मिल्स की ओर प्रस्तुत लिखित बहस मे भी उनके द्वारा विक्रय की गई जमीनों को वोइड माना जाकर शुगर मिल्स से सोलिंग मे लिये जाने हेतु अनुरोध किया है। उपरोक्तानसार समग्र तथ्यों का अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा किये गये हस्तान्तरण पश्चातवर्ती होने, पंजीकृत न होने के कारण स्वीकार योग्य न होने व उक्त हस्तान्तरण को मान्यता प्रदान की जाना समुचित नहीं होने से उजरदारो द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

उजरदारिया स्वीकार योग्य नही पाई जाती है। ऐसी स्थिति मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम स्थित कुल 4228 बीघा 18 बिस्वा भूमि अर्थात् 857.41 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि से 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि को छोड़ते हुये 827.41 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने योग्य पायी जाती है। दिनांक 31.12.1969 तक के किसी भी तथाकथित स्थानान्तरण को अप्रार्थी ने अपने 30 स्टेण्डर्ड एकड़ मे शामिल नही किया है एवं न ही क्रेता के राजस्थान के मूल निवासी होने, सदभाविक कृषक होने तथा बालिग होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी किसी भी स्थानान्तरण को नैतिक रूप से स्वीकार नही करता है तथा स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आया है।

मामले मे लिखित बहस मे मेवाड़ शुगर मिल्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजस्व ग्राम भोपालसागर जिला चितौड़गढ़ मे स्थित 38.58 हेक्टेयर भूमि के विकल्प का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान मे भी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम स्थित है, जिसे विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स अपने पास रखना चाहता है, किन्तु यह स्पष्ट है कि मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा उसके पास स्थित कुलिया भूमि से अधिकांश भ्मि का अवैध रूप से विक्रय कर पिछली तारीखो मे उसे विवादित एवं भारयुक्त कर दिया गया है एवं सोलिंग एरिया से अधिक भूमि जो भारमुक्त हो एवं उस पर कोई विवाद न हो, उसी भूमि का अधिग्रहण सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। चूकि मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा प्रस्तुत राजस्व ग्राम भूपालसागर जिला चितौड़गढ़ की उक्त भूमि भारमुक्त होना परिलक्षित होती है। अतः मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा प्रस्तुत राजस्व ग्राम भोपालसागर जिला चितौड़गढ़ की भूमि का विकल्प स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है, अपितु उक्त भूमि भारमुक्त प्रतीत होने सर्वप्रथम अधिग्रहण किये जाने योग्य है। उक्त भूमि के अतिरिक्त विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा राजस्व ग्राम हड़मतिया, जिला चितौड़गढ़ की लिखित बहस मे प्रस्तुत हाल चरनोट दर्ज भूमि को अपने पास रखने का विकल्प प्रस्तुत किया है, किन्तु यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान मे चरनोट दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 [illegible] चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

किया है कि माननीय सवाच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011@SLP(C)No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 मे चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। इस प्रकार उक्त विकल्प भी स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है एवं उक्त भूमि चरनोट हो राज्य सरकार के पास रखे जाने के योग्य है। इसके अतिरिक्त विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा राजस्व ग्राम सेती जिला चितौड़गढ़ मे दर्ज भूमि जो वर्तमान मे बिलानाम सरकार दर्ज हो चुकी है, को अपने पास रखने का विकल्प प्रस्तुत किया है एवं उक्त भूमि गलती से बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना अवगत कराया है, किन्तु विपक्षी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त भूमि गलती से बिलानाम सरकार दर्ज हुई हो या उक्त भूमि को पुनः अपने नाम दर्ज कराने हेतु विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय मे चाराचोही की हो। ऐसी स्थिति मे विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा स्टेण्डर्ड 30 एकड़ भूमि रखने के संबध मे प्रस्तुत समस्त विकल्प पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाये जाते है।

इस प्रकार समग विवेचन से यह स्पष्ट है कि मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम स्थित कुल 4228 बीघा 18 बिस्वा भूमि अर्थात् 857.41 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि से 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि छोड़ते हुये 827.41 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने योग्य है, किन्तु प्रकरण के गंभीरता पूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा अवैध रूप से जानबूझकर निर्धारित समयावधि के पश्चात पिछली तारीखो मे अपनी भूमि का अवैध हस्तान्तरण किया गया है, जो प्रारम्भतः शन्य है। यह स्पष्ट है कि विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स ने उक्त भूमि जानबुझकर भारयुक्त कर दी है, जिसे भारमुक्त कराने का दायित्व विपक्षी स्वयं का है। मामले की गंभीरता को देखते हुये वर्ष 1963 मे मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम स्थित 4228 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् 857.41 स्टेण्डर्ड एकड़ सम्पूर्ण भूमि सर्वप्रथम अधिग्रहण किये जाकर राज्य सरकार के नाम बिलानाम दर्ज किये जाने योग्य पायी जाती है एवं सम्पूर्ण भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो जाने एवं कब्जा राज्य सरकार द्वारा ले लिये जाने एवं भारमुक्त भूमि राज्य सरकार को प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स द्वारा 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अपने पास रखे जाने के विकल्प पर विचार किया जाना उचित है। प्रकरण 40 वर्षो से अधिक समय से इस न्यायालय मे चल रहा है तथा पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं जिला उदयपुर एवं चिताड़गढ़ मे विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम निर्णय के परिशिष्ट–य मे वर्णित भूमि जो वर्ष 1963 मे तहसील सराड़ा के राजस्व ग्राम सल्लाड़ा मे 600 बीघा 04 बिस्वा अर्थात् 61.56 स्टेण्डर्ड एकड़, बड़गांव मे 362 बीघा 19 बिस्वा अर्थात 37.22 स्टेण्डर्ड एकड़, वीरपुरा मे 323 बीघा 07 बिस्वा अर्थात 33.16 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि, तहसील सलुम्बर के राजस्व ग्राम सेरिया मे 1183 बीघा 01 बिस्वा अर्थात 277.65 स्टेण्डर्ड एकड़, बस्सी सामचोत मे 445 बीघा 05 बिस्वा अर्थात 75.03 स्टेण्डर्ड एकड़, बस्सी झुन्झांवत मे 56 बीघा 09 बिस्वा अर्थात 9.31 स्टेण्डर्ड एकड़, तहसील कपासन हाल भूपालसागर के राजस्व ग्राम डाबर उर्फ भूपालसागर मे 170 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 52.32 स्टेण्डर्ड एकड़, रावतिया मे 425 बीघा 15 बिस्वा अर्थात 180.34 स्टेण्डर्ड एकड़, वालद मे 71 बीघा अर्थात 10.54 स्टेण्डर्ड एकड़, पारी मे 111 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 26.68 स्टण्डर्ड एकड़, भोपालसागर मे 186 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 45.23 स्टेण्डर्ड एकड़, हड़मतिया मे 27 बीघा 06 बिस्वा अर्थात 2.84 स्टेण्डर्ड एकड़, फलासिया मे 69 बीघा अर्थात 8.64 स्टेण्डर्ड एकड़, सिघाड़िया मे 195 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 36.89 स्टेण्डर्ड एकड़ इस प्रकार मेवाड़ शुगर मिल्स के ना वर्ष 1963 मे राजस्व अभिलेख मे दर्ज कुल भूमि 4228 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् 857.41 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सराड़ा, सलुम्बर, भूपालसागर, को निर्देश दिये जाते है कि विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम वर्ष 1963 मे दर्ज उपरोक्तानुसार समस्त भूमि के हाल खसरा नम्बरान को एक माह मे बिलानाम सरकार दर्ज कर तीन माह के भीतर समस्त भूमि पर से अतिक्रमियों को बेदखल कर एवं कब्जा प्राप्त कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगे। इस हेतु संबधित तहसीलदार साबिक खसरा नंबर का हाल नंबर देखकर उसका नामान्तरकरण राजकीय भूमि का दर्ज करेगे। इसके अतिरिक्त भी अन्य कोई भूमि जो विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम दर्ज हो, किन्तु उसकी घोषणा नही की गई हो, उसको भी इस आदेश से अधिग्रहित मानी जाकर राजसात की जावे। साथ ही राज्य सरकार के पक्ष मे नामान्तरकरण खोलते समय इस बिन्दु का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि यदि वर्ष 1963 मे मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम स्थित कोई भूमि बिलानाम दर्ज होने के उपरान्त किसी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत आवंटित हुई हो, राज्य सरकार/भारत सरकार अथवा उसके किसी उपक्रम/राजकीय संस्था के नाम वर्तमान मे दर्ज हो तो उक्तानुसार दर्ज रखी जाना सुनिश्चित किया जावे तथा अधिग्रहित भूमि मे गणना की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे उजरदारों/क्रेताओं के हितों के संरक्षण को ध्यान मे रखते हुये धारा–30–डी(3) मे वर्णित प्रावधानानुसार अधिग्रहण योग्य भूमि के अवैध एवं अपंजीकृत खरीददार को विक्रेता से विक्रय मूल्य की रकम प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं भूमि को भारमुक्त कराने का समस्त दायित्व विपक्षी मेवाड़ शुगर मिल्स का रहेगा एवं समस्त भूमि भारमुक्त हो राजस्व अभिलेखों मे राज्य सरकार के नाम बिलानाम दर्ज हो जाने एवं राज्य सरकार द्वारा कब्जा ले लिये जाने के उपरान्त अप्रार्थी मेवाड़ शुगर मिल्स 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने का विकल्प एक वर्ष के भीतर नियमानुसार इस न्यायालय मे प्रस्तुत करने हतु स्वतंत्र रहेगा एवं एक वर्ष के भीतर विकल्प प्रस्तुत न करने पर अथवा भूमि को भारमुक्त करने पर सहयोग न करने पर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। संबधित तहसीलदार इस आदेश की पालना की प्रगति रिपोर्ट प्रति माह इस न्यायालय को तीन माह तक प्रेषित करेगे तथा एक वर्ष पश्चात समेकित एवं अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे। संबधित तहसीलदारों से सम्पूर्ण अधिग्रहित भूमि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही मेवाड़ शुगर मिल्स को 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि दिये जाने के प्रार्थना पत्र पर विचार होगा, अन्यथा अप्रार्थी द्वारा जो भारयक्त विवादित भूमि उत्पन्न की है, उसी विवादित भूमि की गणना उसके 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि मे से मानी जायेगी।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया प्रकरण फैसल शुमार नंबर से कम किया जावे। निर्णय की एक प्रति संबधित तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला कलक्टर को प्रेषित की जावें।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.12 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested